केवल शासकीय उपयोग हेतु

पंचायत निर्वाचन

मतदाता सूची तैयार करने के लिए
नियुक्त कर्मचारियों के लिए

निर्देश पुस्तिका

हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग पंचकूला

अध्याय–1

नियुक्ति और प्रशिक्षण

मतदाता सूचि किसी भी निर्वाचन का आधार होती है। सूचि जितनी परिपूर्ण और सही होगी चुनाव उतने ही साफ सुथरे होगें। अतः यह आवश्यक है कि मतदाता सूचि में यथासम्भव ऐसे सभी लोगों के नाम सम्मिलित हों जिन्हें कानूनन मतदान का अधिकार प्राप्त है और साथ ही ऐसे किसी व्यक्ति का नाम सम्मिलित न हो जिसे यह अधिकार प्राप्त नहीं है।

2. *पंचायत चुनावों के लिये, मतदाता सूचि ग्राम पंचायतवार तैयार की जाती है। यह सूचि विधानसभा की प्रचलित मतदाता सूचि (अर्थात् अद्यतन सूचि) पर आधारित रहती है। इस हेतू प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूचि को ग्राम पंचायतवार छोटे–2 भागो में विभाजित करके पहले प्रारूप सूचि या प्रारम्भिक सूचि बनाई जाती है। तत्पश्चात् निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत से सम्बन्धित प्रारूप सूचि को, ग्राम पंचायत के कार्यालय में आम लोगो के निरीक्षण और उसके सम्बन्ध में दावे और आपतियां प्राप्त करने के लिये रखा जाता है। साथ ही सम्बन्धित पंचायत समिति, जिला परिषद् कार्यालय, तहसील कार्यालय व खण्ड निर्वाचन अधिकारी कार्यालय तथा जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) कार्यालय में भी उनके अन्तर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियां आम लोगो के निरीक्षणार्थ रखी जाती है । निर्धारित अवधि के दौरान प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय, पंचायत समिति कार्यालय, जिला परिषद् कार्यालय, तहसील कार्यालय, खण्ड निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) कार्यालय तथा जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में सूचि का आम लोगों को निरीक्षण कराने के लिये तथा उसमें नये नाम जोडे जाने या सम्मिलित गलत नाम हटाये जाने या किसी अशुद्वि या त्रुटि को सुधारे जाने के सम्बन्ध में दावे और आपतियां प्राप्त करने के लिये एक कर्मचारी नियुक्त किया जाता है । ऐसा कर्मचारी, जिसे प्राधिकृत कर्मचारी कहा जाता है, सम्बन्धित खण्ड स्तर पर नियुक्त, जिला निर्वाचन अधिकारी के नियन्त्रण, निदेशन और पर्यवेक्षण में कार्य करता है। जिला स्तर पर इस कार्य की देख–रेख नगराधीश, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) तथा उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा की जाती है। ग्राम पंचायत स्तर के ऐसे ही एक केन्द्र पर जहां कि प्रारूप मतदाता सूचि का निरीक्षण कराया जाएगा और दावे और आपत्तियां प्राप्त की जावेगीं, आपको "प्राधिकृत कर्मचारी" के तौर पर नियुक्त किया गया है। आपका चयन इस बात का सूचक है कि ऐसे महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम देने के लिये जिला प्रशासन ने आपकी क्षमता पर भरोसा किया है। अतः आपका यह पुनीत कर्तव्य है कि इस भरोसे के अनुरूप आप अपना कार्य पूरी सावधानी और निष्ठा से सम्पन्न करें।*

3. *मतदाता सूचि का आम लोगो द्वारा निरीक्षण किये जाने और दावे तथा आपति प्रस्तुत करने के लिये आयोग द्वारा जो समय निर्धारित किया जाता है। उस अवधि के दौरान आपको प्रत्येक कार्यकारी दिन उस केन्द्र (स्थान) पर जहां कि आपकी डॅयूटी लगाई है, दिन भर (अर्थात् प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे तक) उपलब्ध रहना होगा। ऐसा करने में किसी प्रकार की लापरवाही को एक गम्भीर कदाचरण माना जायेगा।*

4. *जिस तारीख को प्रारूप मतदाता सूचियों का प्रत्येक ग्राम पंचायत पर सार्वजनिक प्रकाशन होगा अर्थात् जिस दिन से उनका आम लोगों द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा, उसके पहले ही आपको सम्बन्धित ग्राम पंचायत की प्रारूप मतदाता सूचि की एक प्रति उपलब्ध करा दी जायेगी, ऐसी तारीख के लगभग एक सप्ताह पूर्व आपको आपकी नियुक्ति का आदेश भी सीधे या आपके विभागीय नियन्त्रण अधिकारी के माध्यम से प्राप्त हो जायेगा। नियुक्ति आदेश में इस बात का उल्लेख रहेगा कि आपको आवश्यक सामग्री प्राप्त करने तथा प्रशिक्षण के लिये खण्ड मुख्यालय पर किस तारीख को उपस्थित होना है। तदानुसार उस दिन आपको समय पर, हर हालत में खण्ड मुख्यालय पहूंचना होगा। प्रशिक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिया जायेगा और लगभग दो घन्टे तक चलेगा। प्रशिक्षण सत्र में सम्बन्धित पंचायत समिति/विकास खण्ड के अन्तर्गत आने वाले सभी प्राधिकृत कर्मचारी भाग लेगें।*

प्रशिक्षण में आपको, आपके कार्य के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी जायेगी। अपनी शंकाओ के निवारणार्थ आपको किसी भी बिन्दु पर प्रश्न पूछने की पूरी छूट होगी। आपको यह भी समझाया जायेगा कि दावे और आपतियों के लिये निर्धारित प्रारूपों को कैसे भरा जाना है और उसके सम्बन्ध में आपके द्वारा की जाने वाली प्रारभिंक जांच या पूछताछ में किन– 2 बातों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना है । इस प्रशिक्षण को आप जितनी गम्भीरता से लेगें उतना ही आपके हित में होगा क्योंकि बाद में मौके पर आपको मार्ग दर्शन देने वाला कोई नहीं रहेगा तथा हर प्रकार की स्थिति का सामना आपको स्वंय ही (अकेले) करना पडेगा।

5. *प्रशिक्षण सत्र में आपको निम्नांकित सामग्री प्रदाय की जायेगी :–*

(1) *सम्बन्धित ग्राम पंचायत की प्रारूप मतदाता सूचि की एक प्रति ;*

(2) *दावे और आपत्तियों के 3 किस्म के प्रारूप (फार्म) आवश्यक संख्या में,*

(3) *प्राप्त दावे और आपतियों का दैनिक विवरण का फार्म आवश्यक संख्या में।*

नोट :–

पंचायत समिति पर नियुक्त प्राधिकृत कर्मचारियों को सम्बन्धित पंचायत समिति के अन्तर्गत आने वाली तथा जिला परिषद् पर नियुक्त प्राधिकृत कर्मचारियों को जिला परिषद् के अन्तर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों का एक सैट दिया जायेगा ।

प्रदाय की गई उपरोक्त सामग्री की सुरक्षा और देखभाल के लिये आप पूर्णतः जिम्मेदार होगें।

आपको दिये जाने वाले दावा फार्मो (प्ररूप–क) की संख्या, ग्राम पंचायत की प्रारूप मतदाता सूचि में अंकित कुल मतदाताओं की संख्या की लगभग 2.5 प्रतिशत रहेगी, जबकि आपति फार्मो (प्ररूप–ख तथा प्ररूप–ग) की संख्या लगभग 0.5 प्रतिशत रहेगी। प्राप्त दावे और आपतियों का दैनिक विवरण तैयार करने के लिये प्रदाय किये जाने वाले फार्मो की संख्या, 2 फार्म प्रतिदिन के मान से उतने दिनों के लिये होगी जितने दिनों तक मतदाता सूचि को दावे और आपतियां प्राप्त करने के लिये खुला रखा जायेगा साथ ही आपको कोरे कागज की 2 शीट भी, खण्ड स्तरीय निर्वाचन अधिकारी आदि को विशेष सूचना या रिपोर्ट भेजने के लिये प्रदाय की जायेगी।

अध्याय –2

मतदाता सूचि में नाम सम्मिलित किये जाने के लिये अर्हता और निरहर्ता

1. *कोई भी व्यक्ति मतदाता सूचि में नाम दर्ज किये जाने का हकदार होगा, यदि वह–*

(क) *अर्हकारी तारीख को (अर्थात् उस वर्ष के जनवरी माह के प्रथम दिन) जिस वर्ष मतदाता सूचि तैयार की जा रही है, 18 वर्ष से कम आयु का नहीं,*

(ख) *उस ग्राम पंचायत के क्षेत्र का सामान्य तौर पर निवासी है, और*

(ग) *विधानसभा की निर्वाचक नामावली में (जो कि उक्त ग्राम पंचायत से सम्बन्धित हो) नाम दर्ज किये जाने के लिये अन्यथा अर्हित है।*

2. *कोई भी व्यक्ति मतदाता सूचि में नाम दर्ज किये जाने के लिये अयोग्य (निरर्हित) होगा यदि वह :–*

(क) *भारत का नागरिक नहीं है, या*

(ख) *पागल (विकृत चित का) या सक्षम न्यायालय द्वारा उसे ऐसा घोषित किया गया है, या*

(ग) *प्रोटैकशन आफ सिविल राईटस एक्ट 1955 (कमांक 22 सन् 1955) के अधीन किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया है, जब तक कि उसकी दोष–सिद्वि के समय से पांच वर्ष की कालावधि या ऐसी कम कालावधि जिसे राज्य सरकार किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञात करे, नहीं बीत गई हो, या*

(घ) *निर्वाचन के सम्बन्ध में भ्रष्ट आचरणों तथा अन्य अपराधों से सम्बन्धित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन मतदान करने के लिये तत्समय निरर्हित है,*

(ङ) *जो फिलहाल चुनाव के सम्बन्ध में, भ्रष्टाचार या अन्य आरोपों से सम्बन्धित किसी कानून के अन्तर्गत मतदान के लिये अयोग्य है।*

3. *किसी भी ऐसे व्यक्ति का नाम, जो कि नाम दर्ज कर लिये जाने के पश्चात् निरर्हित हो जाता है, उस मतदाता सूचि में से, जिसमें कि वह नाम सम्मिलित है, तत्काल काट दिया जायेगाः*

परन्तु किसी व्यक्ति का नाम, जो कि निरर्हता के कारण मतदाता सूचि में से काटा गया है, उस सूचि में उस परिस्थिति में तत्काल पुनः स्थापित कर दिया जायेगा जबकि ऐसी निरर्हता समाप्त हो जाये या विधिवत् हटा दी गई हो ।

अध्याय–3

दावे तथा आपत्तियों के सम्बन्ध में कार्यवाही

(1) *मतदाता सूचि के निरीक्षण के लिये निर्धारित अवधि के दौरान आपको अपने केन्द्र (अर्थात् ग्राम पंचायत के कार्यालय मे) में प्रत्येक दिन (सार्वजनिक अवकाश के दिन को छोडकर) प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक निरन्तर उपलब्ध रहना चाहिये। इस बीच यदि कोई भी व्यक्ति मतदाता सूचि देखना चाहे तो उसे तत्परता से सूचि का निरीक्षण करने का अवसर देना चाहिये। तदुपरान्त यदि वह सूचि में अपना या अपने परिवार के किसी सदस्य का नाम (जो कि मतदाता के रूप में रजिस्टर किये जाने के लिये पात्र है) जोडे जाने के लिये या सूचि में अंकित नाम, आयु या अन्य किसी विवरण में हुई त्रुटि को दूर करने के लिये या सूचि में सम्मिलित किसी व्यक्ति के नाम को हटाए जाने के लिये आवेदन पत्र (दावा या आपति) पेश करना चाहे तो उसे सुसंगत फार्म (प्ररूप) तत्परता में और निशुल्क उपलब्ध कराया जाये। दावे या आपत्तियां प्रत्येक कार्यकारी दिन प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे के बीच कभी भी प्रस्तुत की जा सकती है, परन्तु ऐसा करने के लिए आखिरी तारीख को केवल 3.00 बजे तक प्रस्तुत की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति दावा या आपति, आपको प्रस्तुत करने के बजाए जिला निर्वाचक अधिकारी को सीधे देना चाहे या डाक से भेजना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है ।*

(2) *सामान्यतया व्यक्तिशः प्रस्तुत आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जाए, लेकिन यदि एक ही परिवार के सदस्यों से सम्बन्धित आवेदन पत्र परिवार का कोई सदस्य इकटठा प्रस्तुत करे तो उन्हे ग्रहण कर लिया जाये। यदि कोई अन्य व्यक्ति, भले ही वह किसी राजनैतिक दल का प्रतिनिधि क्यों न हो, दावे और आपत्तियां थोक में प्रस्तुत करना चाहे तो उन्हे ग्रहण न किया जाए तथा ऐसे प्रस्तुतकर्ता को सलाह दी जाये कि वह सम्बन्धित व्यक्तियों से अलग–2 आवेदन पत्र दिलाए, क्योंकि आवेदकों के दावे और आपत्तियों पर जांच के सिलसिले में उनसे अलग–2 पूछताछ की जानी होगी।*

(3) *दावे तथा आपतियां निम्नांकित प्रकार की हो सकती है :–*

(क) *मतदाता सूचि में नाम सम्मिलित किया जाना ;*
(ख) *नाम गलत स्थान पर या अशुद्व विशिष्टियों के साथ उल्लिखित होना, तथा*
(ग) *मतदाता सूचि में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम सम्मिलित होना, जो पात्र नहीं है ।*

दावे और आपत्तियां आयोग द्वारा निर्धारित प्ररूप (फार्म) में ही प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है वे अपने मन से तैयार किये गये किसी फार्म में स्वीकार नहीं किये जा सकते, परन्तु उनका आयोग द्वारा छपाये गये फार्म में ही होना आवश्यक नहीं है । वे निर्धारित प्ररूप की फोटोकापी में या टाईप किये हुये या हाथ से लिखकर तैयार की गई कापी में भी स्वीकार किये जा सकते है ।

आयोग द्वारा विहित प्ररूप निम्नाकिंत है :–

(1) ***दावा :– (प्ररूप –क)** दावा केवल मतदाता सूचि में नाम सम्मिलित करने के लिये किया जा सकता है। दावा आवेदन पत्र का नमूना परिशिष्ट–1 में दिया गया है ।*

दावे के समर्थन में आवेदन पत्र में यथास्थान किसी ऐसे व्यक्ति के हस्ताक्षर होना जरूरी है जिसका नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूचि में पहले से ही सम्मिलित है ।

यदि कोई मतदाता अपना नाम सूचि के एक वार्ड से दूसरे वार्ड में अतंरित करना चाहता हो तो उसके द्वारा भी इसी प्ररूप (फार्म) में दावा आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) ***आपतियां (प्ररूप–ख तथा प्ररूप–ग)*** : *आपतियां दो प्रकार की हो सकती है, अर्थात्*

(i) ***मतदाता सूचि में सम्मिलित किसी प्रविष्टि के ब्यौरे*** : *(जैसे मकान नम्बर, नाम, पिता/पति का नाम, आयु) के सम्बन्ध में अशुद्धि या त्रुटि पर आपति* **(*प्ररूप–ख*)** :-

*ऐसी आपति केवल वही व्यक्ति कर सकता है, जिससे वह प्रविष्टि सम्बन्धित है, इसके लिये किसी अन्य मतदाता के समर्थन की आवश्यकता नहीं है। ऐसी आपति से सम्बन्धित आवेदन पत्र का नमूना **परिशिष्ट–2** में दिया गया है ।*

(ii) ***मतदाता सूचि में सम्मिलित किसी नाम पर आपति (प्ररूप–ग)***

*ऐसी आपति केवल ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है, जिसका नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूचि में पहले से ही सम्मिलित है अर्थात् जो उस ग्राम पंचायत का मतदाता है। साथ ही ऐसी आपति के समर्थन में आवेदन पत्र में यथास्थान, किसी ऐसे व्यक्ति के हस्ताक्षर होना जरूरी है जो पहले से ही उस ग्राम पंचायत का मतदाता है। ऐसी आपति से सम्बन्धित आवेदन पत्र का नमूना **परिशिष्ट–3** में दिया गया है ।*

(4) *आपका यह कर्तव्य है कि दावा या आपति प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति यदि प्ररूप (फार्म) भरने में या किसी प्रविष्टि को ठीक से समझने में आपसे मार्गदर्शन या सहायता मागें तो आप ऐसी सहायता या मार्गदर्शन प्रसन्नतापूर्वक दें।*

(5) *कोई दावा तथा आपति प्राप्त होने पर आपके द्वारा दावेदार या आपतिकर्ता को, संगत प्ररूप के अन्त में लगी हुई "आवेदन की रसीद तथा पेशी तारीख की सूचना हाथो–हाथ दी जाये। मामले में खण्ड स्तरीय जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष सुनवाई के लिये वह तारीख डाली जाये जो दावा या आपति प्रस्तुत किये जाने के दिन के ठीक 3 दिन बाद पडने वाले कार्यकारी दिवस की तारीख हो। उदाहरणार्थ यदि दावा या आपति आवेदन पत्र 7 तारीख को प्रस्तुत किया जाता है तो सुनवाई के लिये पेशी तारीख 10 की डाली जाये परन्तु यदि 10 तारीख को सार्वजनिक अवकाश हुआ तो पेशी तारीख 11 की डाली जाये। साथ ही दावेदार या आपतिकर्ता से पेशी तारीख की सूचना प्राप्त हो जाने के प्रमाण स्वरूप, प्ररूप में ही मुद्रित पावती पर, उसके हस्ताक्षर करवा लिये जाये या अंगूठे का निशान लगवा लिया जाये ।*

(6) *प्रस्तुत प्रत्येक दावे और आपति के सम्बन्ध में आपके द्वारा प्रस्तुतकर्ता से पूछताछ की जाए, और उसके आधार पर दावा या आपति के प्ररूप में, सुंगत स्थान पर, अपनी रिपोर्ट दर्ज की जाए। पूछताछ निम्नांकित बिन्दुओं के विषय में की जाये :–*

(i) *1 जनवरी को दावेदार की आयु 18 वर्ष की हो जाने के सम्बन्ध में क्या प्रमाण है? उसकी स्कूल में अंकित जन्म तिथि क्या है और यदि ऐसे कोई कागज (प्रमाण पत्र) उपलब्ध न हो तो उसके पास अन्य कौन सा कागज या परिस्थितिजन्य साक्ष्य है जिसके आधार पर यह माना जा सकता है कि उसकी आयु 18 वर्ष की हो गई है। यदि दावेदार की आयु 18 वर्ष से कहीं अधिक हो (जैसे 25 या 30 वर्ष) तो उसके द्वारा पूर्व में विधान सभा की मतदाता सूचि में नाम दर्ज न कराए जाने का क्या कारण था? क्या ऐसा कारण सन्तोषजनक है ?*

(ii) *वह समान्यताः कहां रहता है अर्थात् उसका मामूली तौर पर निवास का स्थान कहां है और वह क्या करता है ? उसके परिवार में और कौन–2 से लोग है तथा क्या उनके नाम मतदाता सूचि में सम्मिलित हैं ?*

(iii) *जिस व्यक्ति की मृत्यु होने के कारण उसका नाम मतदाता सूचि में बने रहने पर आपति तथा नाम हटाये जाने की मांग की गई है, उसकी मृत्यु कब/कहां हुई ?*

(iv) *जिस व्यक्ति का नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूचि में बने रहने पर इस आधार पर आपति तथा नाम हटाये जाने के लिये मांग की गई है कि ऐसा व्यक्ति गांव का मामूली तौर पर निवासी न होकर किसी और गांव में रहता है या नौकरी या अन्य व्यवसाय के सिलसिले में अन्यत्र चला गया है या किसी महिला के मामले में वह विवाह के पश्चात् सुसराल चली गई है या ऐसा व्यक्ति किसी अन्य कारण से अपात्र या निरर्ह है, वह कब और कहां चला गया है या उसकी कथित अपात्रता का आधार क्या है ?*

(7) *उपरोक्त पूछताछ के पश्चात् ही आपको दावे या आपति प्ररूप में सुसंगत स्थान पर अपनी रिपोर्ट लिखनी चाहिए। उसमें यह स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए कि आपकी राय में दावा या आपति स्वीकार करने योग्य है या नहीं?*

पूछताछ के समय आपको यदि दावेदार/आपतिकर्ता की ओर से कोई कागज पत्र प्रस्तुत किये जाये तो उन्हें भी प्ररूप (फार्म) के साथ संलग्न कर दिया जाये। यहां स्पष्ट करना आवश्यक है कि खण्ड स्तरीय जिला निर्वाचन अधिकारी आपकी रिपोर्ट को मानने के लिये बाध्य नहीं है। वह चाहे तो मामले में सुनवाई के दौरान अपनी संतुष्टि के लिये आगे और पूछताछ कर सकता है या अलग से और भी जांच कराकर अपना स्वतन्त्र निष्कर्ष निकाल सकता है ।

(8) ***आपके द्वारा, प्रत्येक दिन प्राप्त दावों और आपत्तियों का दैनिक विवरण उसी दिन शाम को परिशिष्ट–4*** *में दिये फार्म में दो प्रतियों मे तैयार किया जाये। इस विवरण की एक प्रति प्राप्त दावे और आपति मूल प्ररूपों के साथ, अगले दिन खण्ड स्तरीय जिला निर्वाचन अधिकारी को भेज दी जाये, जबकि दूसरी प्रति अपने कार्य स्थान अर्थात् ग्राम पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रातः 10.00 बजे आम लोगों की सूचना और अवलोकन के लिये लगा दी जाये। नोटिस बोर्ड पर लगाई गई प्रति*

3 दिन तक न हटाई जाए। इसके पीछे मशां यह है कि यदि किसी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूचि में सम्मिलित किये जाने या किसी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूचि से हटाए जाने का प्रयास किया जा रहा हो, तो ग्राम के लोगो को उसका पता चल जाए और वे ऐसे प्रयास को निष्फल करने के लिये आपको या खण्ड स्तरीय जिला निर्वाचन अधिकारी को तथ्यों से अवगत करा सके। यदि किसी दिन कोई दावा या आपति प्राप्त न हो तो भी उस तारीख से सम्बन्धित निरंक दैनिक विवरण तैयार किया जाए और उसका उपरोक्तानुसार प्रदर्शन और प्रेषण किया जाए। दैनिक विवरण की वह प्रति जो प्राप्त प्ररूपों (फार्म) सहित खण्ड स्तरीय जिला निर्वाचन अधिकारी के पास पहुंचाई जानी है, को भेजे जाने के सम्बन्ध में उन्होनें जो भी व्यवस्था की हो या आपको जैसे भी निर्देश दिये हो, उनके अनुसार ही आपके द्वारा कार्यवाही की जाए।

दावे और आपतियां प्राप्त करने के लिये निर्धारित अतिंम तारीख को अपरान्ह् 3.00 बजे के बाद प्रस्तुत किसी दावे या आपति को स्वीकार न किया जाए। उस दिन प्राप्त सभी दावों और आपतियों का दैनिक विवरण, उसी दिन शाम तक पंचायत के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित कर दिया जाए और खण्ड स्तरीय जिला निर्वाचन अधिकारी वाली प्रतिलिपि भी (प्राप्त दावे और आपति के प्ररूपों सहित) भेजे जाने हेतू तैयार कर ली जाए।

(9) *कार्य पूर्ण हो जाने पर, आखरी दैनिक विवरण के साथ प्रारूप मतदाता सूचि तथा बचे हुये प्ररूप (फार्म) सादे कागज पर लिखी गई एक रिपोर्ट के साथ (जिसमें यह उल्लेख हो कि आपको प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के कुल कितने दावे और आपतियां प्राप्त हुई) खण्ड स्तरीय जिला निर्वाचन अधिकारी को भेज दिये जाये। इसके बाद ही आप अपनी ड्यूटी से मुक्त माने जायेगे।*

<u>पंचायत निर्वाचन</u>

परिशिष्ट–1
(प्ररूप –क)

मतदाता सूचि में नाम सम्मिलित किये जाने के लिये दावा–आवेदन
{नियम 10 (1) के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्ररूप –क"}

सेवा में

जिला निर्वाचन अधिकारी,
ग्राम पंचायत ____________________विकास खंड ____________
जिला ______________________ ।

महोदय,
मैं प्रार्थना करता/करती हूं कि उपरोक्त ग्राम पंचायत की मतदाता सूचि के वार्ड क्रमांक _______________में मेरा नाम सम्मिलित कर लिया जाए।

मेरा नाम (पूरा नाम) _______________________पुरूष/स्त्री ____________________
पिता/पति का नाम ________________________गृह क्रमांक _____________________
ग्राम _____________________विकास खंड _____________________ जिला _________________

2. मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि अपने सर्वोतम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :–

(1) मैं भारत का/की नागरिक हूं।

(2) गत 1 जनवरी को मेरी आयु _________________वर्ष और __________________मास थी।

(3) मैं उपर दिये गये पते वाले स्थान का/की सामान्यतः निवासी हूं ।

(4) मैने उक्त ग्राम पंचायत के किसी अन्य वार्ड के लिये मतदाता सूचि में अपना नाम सम्मिलित किये जाने के लिये आवेदन नहीं किया है ।

(5) उक्त ग्राम पंचायत या किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरपालिका की मतदाता सूचि में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है ।

या

*मेरा नाम ग्राम/नगर ______________________जिला ____________________, जिसमें मैं नीचे उल्लिखित पते पर पहले सामान्यतः निवास कर रहा था/रही थी, की मतदाता सूचि में सम्मिलित है और मैं प्रार्थना करता/करती हूं कि उसे उक्त मतदाता सूचि से हटा दिया जाये :–

*ग्राम _____________________वार्ड क्रमांक ____________ग्राम पंचायत _____________विकास खण्ड ____________________जिला _____________________

*नगर _____________________वार्ड क्रमांक _________तहसील __________________
जिला _____________________

स्थानः
तारीखः

दावेदार के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

---

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

दावे का समर्थन

मैं उस मतदाता सूचि में सम्मिलित एक मतदाता हूं जिसमें सम्मिलित किये जाने के लिये दावेदार ने आवेदन किया है। मेरा नाम उक्त ग्राम पंचायत के वार्ड कमांक ______ की मतदाता सूचि में कमांक __________ पर दर्ज है ।

मैं इस दावे का समर्थन करता/करती हूं और इस पर हस्ताक्षर करता/करती हूं।

____
समर्थक के हस्ताक्षर
पूरा नाम ______________

टिप्पणीः— जो कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है, जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह एक दण्डनीय अपराध करता है ।

सुनवाई के लिये निर्धारित तारीख ____________________

(कार्यालय के लिये)

पावती

प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई।

तारीख ____________________ ____________________
हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
प्रस्तुतकर्ता

आवेदन की रसीद तथा पेशी की तारीख की सूचना
(प्रस्तुतकर्ता के लिये)

श्री/श्रीमति/कुमारी ____________________ जो ग्राम ___________________ का/की निवासी है, से "प्ररूप –क" में आवेदन प्राप्त हुआ।

2. आवेदन में सुनवाई जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा स्थान ___________________ में स्थित अपने कार्यालय में तारीख ____________________ को समय 10.30 बजे प्रातः की जायेगी। वे सुनवाई के लिये आवश्यक साक्ष्य/जानकारी के साथ उपस्थित हो।

तारीख ____________________ प्राधिकृत अधिकारी __________________
ग्राम पंचायत ____________________
वास्ते जिला निर्वाचन अधिकारी ।

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप :–

(1) मामले में प्रार्थी को सुनवाई के लिये तारीख ____________________ को प्रातः 10.30 बजे जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिये सूचित किया गया है ।

(2) प्रारभिंक जांच पडताल के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार है :–

____

____

____

तारीख : ____________________

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी
नाम ____________________
ग्राम पंचायत ____________________

आवेदन के सम्बन्ध में पारित आदेश

आदेश कमांक ____________________ तारीख ________________

श्री / श्रीमति / कुमारी ____________________ जो ________________ का / की निवासी है, द्वारा "**प्ररूप–क**" में प्रस्तुत आवेदन को,–

(क) स्वीकार कर लिया गया है और उसका नाम उक्त ग्राम पंचायत के वार्ड कमांक ____________________ की मतदाता सूचि में सम्मिलित कर लिया गया है ।

(ख) निम्नलिखित कारण से नामजूंर कर दिया गया है :–

____

____

____

____
जिला निर्वाचन अधिकारी

मोहर

परिशिष्ट–2

पंचायत निर्वाचन (प्ररूप –ख)

मतदाता सूचि की किसी प्रविष्टि के ब्यौरे पर आपति
{नियम 10 के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित 'प्ररूप–ख' }

सेवा में

जिला निर्वाचन अधिकारी,
ग्राम पंचायत ____________ विकास खण्ड __________
जिला ________________

महोदय,

मैं निवेदन करता/करती हूं कि उक्त ग्राम पंचायत के वार्ड क्रमांक ____________ की मतदाता सूचि की प्रविष्टि, जो क्रमांक ____________ पर ____________ के रूप में दी हुई है, शुद्ध नहीं है, कृप्या उसे शुद्ध करे जिससे वह निम्नलिखित रूप में पढ़ी जाए :–

____

____

स्थानः
तारीखः मतदाता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
पूरा नाम ––––––––––––––––

टिप्पणीः– जो कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है या जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह एक दण्डनीय अपराध करता है ।

सुनवाई के लिये निर्धारित तारीख : ____________

कार्यालय के लिये
पावती

प्रस्तुत दावे/आपति पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई ।

तारीखः हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
प्रस्तुतकर्ता

आवेदन की रसीद तथा पेशी की तारीख की सूचना
(प्रस्तुतकर्ता के लिये)

श्री/श्रीमति/कुमारी ______________________ जो ____________ का/की निवासी है, से "**प्ररूप–ख**" में आवेदन प्राप्त हुआ ।

2. आवेदन में सुनवाई जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा स्थान ____________ में स्थित अपने कार्यालय में तारीख ____________ को समय 10.30 बजे प्रातः की जायेगी। वे सुनवाई के लिये आवश्यक साक्ष्य/जानकारी के साथ उपस्थित हो ।

तारीख : ____________

प्राधिकृत कर्मचारी ____________
ग्राम पंचायत ____________
वास्ते जिला निर्वाचन अधिकारी

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप :–

(1) मामले में प्रार्थी को सुनवाई के लिये तारीख ____________________ को प्रातः 10.30 बजे जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिये सूचित किया गया है ।

(2) प्रारभिंक जांच पडताल के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार है :–

____

____

____

तारीख : ____________________

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी
नाम ____________________
वार्ड का कमांक ____________________

आवेदन के सम्बन्ध में पारित आदेश

आदेश कमांक ____________________ तारीख ________________

श्री/श्रीमति/कुमारी ____________________ जो ग्राम ______________

का/की निवासी है, द्वारा "**प्ररूप–ख**" में प्रस्तुत आपति को –

(क) स्वीकार कर लिया गया है और सुसंगत प्रविष्टि को शुद्व कर दिया गया है, जो अब निम्नलिखित रूप में पढी जाएगी :–

____

____

____

(ख) निम्नलिखित कारण से नामजूंर कर दिया गया है :–

____

____

____

____
जिला निर्वाचक अधिकारी

मोहर

परिशिष्ट–3

पंचायत निर्वाचन (प्ररूप –ग)

मतदाता सूचि में नाम सम्मिलित किये जाने पर आपति

{नियम 10 के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित 'प्ररूप–ग'}

सेवा में

जिला निर्वाचन अधिकारी,
ग्राम पंचायत ________________विकास खण्ड ________
जिला ________________

महोदय,

मैं उपरोक्त ग्राम पंचायत की मतदाता सूचि के वार्ड कमांक ________में कमांक ________पर श्री/श्रीमति/कुमारी ________ का नाम सम्मिलित किये जाने पर निम्नलिखित कारण से आपत्ति करता/करती हूं :–

____

____

2. मैं घोषणा करता/करती हूं कि उपर वर्णित तथ्य मेरे सर्वोतम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं। उक्त ग्राम पंचायत की मतदाता सूचि में मेरा नाम निम्नलिखित रूप में सम्मिलित हुआ है :–

पूरा नाम ________________ पुरूष/स्त्री ________________

पिता/पति का नाम ________________ वार्ड कमांक ________________

मतदाता कमांक ________________

तारीख ________ आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

पूरा डाक पता ________________________

____

आपत्ति का समर्थन

मैं उक्त मतदाता सूचि में सम्मिलित एक मतदाता हूं, जिसमें वह नाम दिया हुआ है जिस पर आपति की गई है। मेरा नाम वार्ड कमांक ________की मतदाता सूचि में कमांक ________ पर दर्ज है । मैं इस आपति का समर्थन करता/करती हूं और इस पर हस्ताक्षर करता/करती हूं।

____
मतदाता के हस्ताक्षर
पूरा नाम ________________

टिप्पणी :– जो कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह एक दण्डनीय अपराध करता है।

सुनवाई के लिये निर्धारित तारीख : ________

(कार्यालय के लिये)

पावती

प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई।

तारीख : _______ हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
प्रस्तुतकर्ता

आवेदन की रसीद तथा पेशी की तारीख की सूचना

(प्रस्तुतकर्ता के लिये)

श्री/श्रीमति/कुमारी _______________ जो ग्राम _______________ का/की निवासी है, से '**प्ररूप –ग**' में आवेदन प्राप्त हुआ ।

2. आवेदन में सुनवाई जिला निर्वाचक अधिकारी द्वारा स्थान _______________ में स्थित अपने कार्यालय में तारीख _____________ को समय 10.30 बजे प्रातः की जाएगी। वे सुनवाई के लिये आवश्यक साक्ष्य/जानकारी के साथ उपस्थित हो ।

तारीखः प्राधिकृत कर्मचारी _______________
ग्राम पंचायत ______________________
वास्ते जिला निर्वाचन अधिकारी

प्राधिकृत कर्मचारी की रिपोर्ट :–

(1) मामले में प्रार्थी को सुनवाई के लिये तारीख _______________ को प्रातः 10.30 बजे जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिये सूचित किया गया है ।

(2) प्रारभिंक पूछताछ के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार है :–

____

____

____

तारीख :_______

____
हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी
(नाम _______________)
ग्राम पंचायत _______

आवेदन के सम्बन्ध में पारित आदेश

आदेश कमांक _______ तारीख _______

श्री/श्रीमति/कुमारी _______________ जो ग्राम _______________ का/की निवासी है, द्वारा '**प्ररूप–ग**' में प्रस्तुत आपत्ति को, –

(क) स्वीकार कर लिया गया है कि उक्त ग्राम पंचायत की मतदाता सूचि के वार्ड कमांक _______ में कमांक _______ पर उल्लिखित श्री/श्रीमति _______________ के नाम को निकाल दिया गया है ।

(ख) निम्नलिखित कारणो से नामंजूर कर दिया गया है :–

____

____

____

मोहर

____
जिला निर्वाचन अधिकारी

परिशिष्ट–4

ग्राम पंचायत ______________________ विकास खण्ड _______________

दावे और आपत्तियों का दैनिक विवरण

तारीख ________

भाग–1 दावे
(नाम जोडने के लिये)

क्रमांक	दावेदार का नाम तथा पिता/पति का नाम	वार्ड और ग्राम का विवरण जिसमें नाम जोडे जाने का दावा किया गया है ।		जांच/सुनवाई के लिये निर्धारित पेशी तारीख
		वार्ड क्रमांक	ग्राम	
1	2	3	4	5

भाग–2 आपत्ति
(प्रविष्टियों के संशोधन के लिये)

क्रमांक	आपत्तिकर्ता का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसमें संशोधन किया जाना है ।			जांच/सुनवाई के लिये निर्धारित पेशी तारीख
		वार्ड क्रमांक	ग्राम	प्रविष्टि क्रमांक	
1	2	3	4	5	6

भाग–3 आपत्ति
(नाम विलोपित किये जाने के लिये)

क्रमांक	आपत्तिकर्ता का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसे विलोपित किया जाना है				जांच/सुनवाई के लिये निर्धारित पेशी तारीख
		मतदाता का नाम तथा पिता/पति का नाम	वार्ड क्रमांक	ग्राम	प्रविष्टि क्रमांक	
1	2	3	4	5	6	7

कार्य स्थानः
तारीख :

हस्ताक्षर
प्राधिकृत कर्मचारी